



2026:AHC: 2814

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19624 वर्ष 2025

राजवीर

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	आदित्य प्रकाश वर्मा, अंकेश्वर मिश्रा, रंजना वर्मा, शैलेश वर्मा
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश वर्मा और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे होमगार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था, हालांकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 323, 354 और 506 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 202/2017 दर्ज होने के कारण, जिला कमांडेंट होमगार्ड शाहजहाँपुर, तृतीय प्रतिवादी द्वारा दिनांक 09.09.2025 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें रिट याचिकाकर्ता को कर्तव्यों के पालन से रोक दिया गया और उससे स्पष्टीकरण मांगा गया।
3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना प्रतिवादी को कर्तव्यों के पालन से रोकने का आधार नहीं हो सकता। उनका तर्क है कि संपूर्ण आधार दिनांक 18.08.2023 के शासनादेश का खंड 5 से 8 है, जिसे रिट-ए संख्या 16186/2024 (महेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य), निर्णय दिनांक 26.09.2025 में अधिकारातीत घोषित किया जा चुका है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि तृतीय प्रतिवादी, जिला कमांडेंट होमगार्ड, शाहजहाँपुर द्वारा मामले पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. प्रतिपक्षी पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिकाकर्ता को तृतीय प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए इस रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है। दिनांक 16.01.2026 तक उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर, तृतीय प्रतिवादी *महेश सिंह (उपरोक्त)* के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मामले पर पुनर्विचार करेंगे।
6. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किया है।
7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।
8. आज दाखिल किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट-ए के रूप में अंकित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

7 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति